

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री नेमीचंद पुत्र श्री रायचंद
जाति जैन
निवासी सिरौहीरोड, पिण्डवाडा
तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही
किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरौही

मुकदमा नं. 28 वर्ष 2019

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
23.09.2019	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 22.6.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सर्तकता समिति के पत्र क्रमांक 693-94 दिनांक 8.6.2009 पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 22.6.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सर्तकता समिति के पत्र क्रमांक 693-94 दिनांक 8.6.2009 पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि उन्हें निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत को चाही गई समस्त सूचना तत्काल उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से क्रम हो।</p> <p>(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी) जिला कलक्टर, सिरौही</p>	